अध्याय 5

[1]राज्य मण्डी बोर्ड सेवा

[1][धारा **26. राज्य मण्डी बोर्ड सेवा का गठन-** (1) बोर्ड तथा मण्डी समितियों के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों का प्रबन्ध करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा एक सेवा का गठन किया जाएगा जिसे राज्य मण्डी बोर्ड सेवा कहा जायेगा.

(2) बोर्ड, राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के सदस्यों की भर्ती, अर्हता, नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान, छुट्टी, छुट्टी वेतन, कार्यकारी भत्ता, उधार, पेंशन, उपदान (ग्रेच्युटी), वार्षिकी (एन्युटी), अनुकम्पा निधि, भविष्य निधि, पदच्युति, हटाये जाने, आचरण, विभागीय जांच, दण्ड, अपील तथा अन्य सेवा शर्तों के संबंध में विनियम बनाएगा.

(3) राज्य मंडी बोर्ड सेवा के सदस्यों को, जो मंडी समिति के नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे हैं, दिये जाने के लिए अपेक्षित वेतन, भत्ते, उपदान तथा अन्य संदाय मंडी समिति निधि पर भार होंगे.

(4) किन्हीं भी नियमों या विनियमों के अधीन नियुक्त किये गये या आमेलित किये गये ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारी, जो उपधारा (1) के अधीन राज्य मंडी बोर्ड सेवा के गठन के अव्यवहित पूर्व राज्य विपणन सेवा, बोर्ड सेवा के सदस्य थे और मंडी समिति सेवा के नाकेदार (सहायक उपनिरीक्षक) राज्य मंडी बोर्ड सेवा के सदस्य समझे जाएंगे.]

टिप्पणी

(1) **राज्य मंडी बोर्ड सेवा का गठन-** राज्य सरकार बोर्ड तथा मंडी कमेटियों के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों का प्रबन्ध करने के प्रयोजन के लिए एक सेवा का विहित रीति में गठन करेगी जिसे राज्य मंडी बोर्ड सेवा कहा जायगा।

(2) **धारा 26 (2)-** राज्य मडी बोर्ड सेवा के सदस्यों की भर्ती, अर्हता (Qualifications), नियुक्ति (Appointment), पदोन्नति (Promotion), वेतनमान (Pay scale), छुट्टी, छुट्टी भत्ता, कार्यकारी भत्ता, उधारों (Advances), पेंशन, उपदान (ग्रेच्युटी), [illegible], अनुकम्पा निधि भविष्य निधि (प्रोव्हीडेंट फण्ड) पदच्युति, हटाये जाने (Removal), आचरण (Conduct), विभागीय दण्ड (Departmental punishment), अपीलों (Appeals), तथा अन्य सेवा शर्तों के सम्बन्ध में बोर्ड विनियम बनाएगा।

(3) सेवा सदस्यों को उनकी सेवा शर्तों के अनुसार दिये जाने के लिए अपेक्षित वेतन भत्ते, उपदान तथा अन्य संदाय। मण्डी कमेटी फण्ड पर प्रभार (Charge) होंगे।

धारा 27. सचिव और अन्य अधिकारी-

[1][(1) प्रत्येक मंडी समिति में एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी होंगे [2][जो राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के सदस्य होंगे या जो राज्य सरकार या शासकीय सहायता प्राप्त सहकारी संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाओं के ऐसे सदस्य हों, जिनकी सेवाएं बोर्ड द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अभिप्राप्त की गई हों :]

परन्तु एक से अधिक मंडी समितियों के लिए किसी एक अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी.

(2) सचिव, मंडी समिति का प्रधान कार्यपालन अधिकारी होगा और उस मंडी समिति में पदस्थ समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी उसके अधीनस्थ होंगे.

(3) सचिव, मंडी समिति के प्रति जवाबदार होगा और मंडी समिति के नियंत्रण के अधीन होगा।

1. संशोधन अधि. क्र. 27/1997 द्वारा संशोधित।
2. संशोधन अधिनियम क्र. 31/2000 राजपत्र असाधारण म.प्र. दि 5 अक्टूबर 2000 पृष्ठ 1286 द्वारा संशोधित। इस संशोधन को म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 5-2-2001 (पृष्ठ 165) द्वारा लागू किया गया।

वि.प्र. प्र.क्र. 'परिशिष्ट-अ' पृष्ठ-01 से 03 तक

परिशिष्ट-अ (2)

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 25 तारांकित

(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेड II वेतनमान (680-15-800-20-900-25-1000-30-1060 रु)	एक पद	मण्डी कमेटी-द्वितीय श्रेणी
(2)	मार्केटिंग इन्सपेक्टर ग्रेड I (विपणन निरीक्षक) वेतनमान (635-15-800-20-900-25-950 रु)	एक पद	मण्डी कमेटी-द्वितीय श्रेणी
(3)	अकाउन्टेन्ट ग्रेड II वेतनमान (635-15-800-20-900-25-950 रु)	एक पद	मण्डी कमेटी-द्वितीय श्रेणी
(1)	मार्केटिंग इन्सपेक्टर ग्रेड- II वेतनमान (575-15-800-20-880 रु)	एक पद	मण्डी कमेटी-तृतीय श्रेणी
(2)	अकाउन्टेन्ट ग्रेड- III वेतनमान (575-15-800-20-880 रु)	एक पद	मण्डी कमेटी-तृतीय श्रेणी
(1)	अकाउन्टेन्ट ग्रेड- IV वेतनमान (515-10-575-15-800 रु)	एक पद	मण्डी कमेटी-चतुर्थ श्रेणी

[म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 21 नवम्बर, 1986 पृ. 1512-1513]

धारा 28. लोप किया।

[1][धारा 29] लुप्त की गई।

धारा 30. कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति- (1) प्रत्येक मण्डी समिति ऐसे अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति कर सकेगी जो कि उसके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक तथा उचित हों :

परन्तु किसी भी पद का सृजन संचालक की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जायेगा।

(2) मण्डी समिति उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति वेतन छुट्टी, छुट्टी भत्ते, पेंशन, उपदान, भविष्य निधि में अभिदाय तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए तथा उनको शक्तियाँ, कर्तव्य एवं कृत्य प्रत्यायोजित करने के लिए उपलब्ध करने के हेतु उपविधियां बना सकेगी।

(3) इस अधिनियम में या उसके अधीम बनाए गए नियमों या उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रबन्ध संचालक, उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, किसी मण्डी समिति के किसी भी ऐसे अधिकारी या सेवक को, जिसका अधिकतम वेतनमान छह सौ रुपये से अधिक हो, उस राजस्व संभाग की किसी अन्य मण्डी समिति में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित कर सकेगा और संचालक के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह इस उपधारा के अधीन प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण का आदेश पारित करने के पूर्व, संबंधित मण्डी समिति से या अधिकारी या सेवक से परामर्श करे।

1 संशोधन अधि. क्र. 27/1997 द्वारा धारा 29 लुप्त की गई।

(4) उपधारा (3) के अधीन स्थानान्तरित किया गया संबंधित अधिकारी या सेवक—

(क) मूल मण्डी समिति में धारित पद पर अपना धारणाधिकार रखेगा;

(ख) ऐसे वेतन या भत्तों के संबंध में, जिनके कि लिए वह मूल मण्डी समिति में बने रहने की दशा में हकदार होगा, अलाभकारी स्थिति में नहीं रखा जाएगा;

(ग) ऐसी दर पर प्रतिनियुक्ति भत्ता पाने का हकदार होगा जैसा कि प्रबंध संचालक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे; और

(घ) ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों द्वारा, जिनके अंतर्गत अनुशासनिक नियंत्रण भी है, शासित होगा जैसी कि संचालक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

टिप्पणी

धारा 29, 30

धारा 28 का लोप- संशोधन अधिनियम क्र. 24/1986 (म. प्र. राजपत्र असाधारण दि. 21-7-1986 पृ. 1135-1144) की धारा 20 द्वारा मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 28 का लोप किया जा चुका है।

धारा 29 का लोप- अधिनियम 1997 द्वारा लोप किया गया है।

पूर्व दृष्टान्त

(3) (अ) कोई पद विनिर्दिष्ट प्रबंध संचालक द्वारा सृजित किये जाने पर ही नियुक्ति योग्य माना जायेगा यदि प्रबंध संचालक द्वारा पद का सृजन (creation) नहीं किया गया है तो उस पद पर अनधिकार पूर्ण नियुक्ति मानी जायेगी और अवैध होगी। संचालक की पूर्ण स्वीकृति या पूर्व में प्राप्त किये गये अनुमोदन के बिना की गई नियुक्ति अवैध मानी जायेगी - **ध्यानसिंह बनाम डायरेक्टर कृषि मंडी**, 1979 म. प्र. ला ज. नोट 1 ।

(आ) नियुक्ति देने के लिये विस्तृत निधि के बारे में संचालक की पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई अतएव नियुक्ति अवैध होगी- **राजू गौड़ बनाम कृषि उपज मंडी समिति**, 1989 (I) म. प्र. वी. नोट 92।

(4) कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों को पेंशन की कब हकदारी है?- जब राज्य मंडी सेवा उपधारा (1) धारा 26 के अधीन अभिप्रेत गठित नहीं हुई तब अर्जीदार का उस सेवा का सदस्य होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता - **मोहनलाल बनाम स्टेट म. प्र.**, 1980 (II) म. प्र. वी. नोट 267।

(5) औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10(2) के प्रावधानों की अपेक्षाएं पूरी होने पर राज्य सरकार को मामले में रिफ्रेन्स करने का विकल्प मौजूद है तब रिट का असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता- **विवेक तिवारी बनाम कृषि उपज मंडी कमेटी**, 1989 (I) म. प्र. वी. नोट 78।

(6) मंडी समिति नाकेदार की नियुक्ति एवं निष्कासन का अधिकार रखती है- **जवाहर सिंह बनाम म. प्र. राज्य**, 1988 (II) म. प्र. वी. नोट 188; 1977 ज.ला ज. 106, **प्रभूदयाल बनाम कृषि उपज मंडी समिति केलारस**, पैरा 7 (जस्टिस शिवदयाल तथा जस्टिस सी.एम. लोढा- डी.बी. हाई कोर्ट। इस मामले में केलारस मंडी समिति की उपविधियों में नाकेदार को सुपीरियर आफीसर बताया गया था जबकि नियम 38 ऐसा श्रेणीकरण नहीं करता है यह नियम के विरुद्ध उपविधि अवैध करार दी गई और नाकेदार को मंडी कमेटी द्वारा हटाया जाने का अधिकार माना गया।

(7) कर्मचारी को सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस की रिपोर्ट पर कांट्रैक्युअल सर्विस बताकर दंड स्वरूप हटाये जाने पर सहज न्याय के अनुसार सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है- ए.आई.आर. 1989 इलाहाबाद 154 फुल बैंच हाई कोर्ट।

वि. वि. प्र. क्र. 25 परिशिष्ट-अ पृष्ठ 01 से 03 तक

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

निलेन्द्र ...
उप सचिव